झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांक :–03 / कोर्ट केश–11–03 / 2013..... / रॉची, दिनांक : ..... /

आदेश

डब्लू॰पी॰(एस॰)संख्या–245 / 2013 (विष्णुशरण शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अभियंता प्रमुख–01, जल संसाधन विभाग द्वारा पारित तार्किक आदेश

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा **WP(s) सं॰–245 / 2013 (विष्णुशरण शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य)** में निम्न आदेश पारित किया गया है –

".....without commenting upon the merit of the claim of the petitioner, the writ petition is disposed of with a liberty to the petitioner, to once again approach the respondent no 6, Engineer-in-Chief, Water Resources Department with a fresh representation for redressal of his grievances relating to post retiral dues arising out of such grant of MACP and ACP vide Annexure-2 and 1 respectively as also such other dues on account of statutory interest on GPF amount, Travelling Allowance and Transfer Travelling Allowance with statutory interest, if any, within a period of 3 weeks supported with all facts and documents. On receipt of such representation, the respondent no 06 Engineer-in- Chief Water Resources Department shall consider the same in accordance with law after proper verification of the service record of the petitioner and pass a reasoned and speaking order within a period of 12 weeks thereafter, which shall also be communicated to the petitioner. Needless to say, if the dues as claimed by the petitioner are found to be genuine and legally admissible, the same shall be paid within period of 8 weeks, thereafter."

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में वादी श्री शर्मा के अभ्यावेदन जो दिनांक 06.09.2013 को विभाग में प्राप्त हुआ, पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा वादी की उपस्थिति में सुनवायी की गई। सुनवायी के दौरान वादी द्वारा रखी गई मांग के सापेक्ष समीक्षा एवं बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है –

1. <u>ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृति के पश्चात् दिनांक 09.08.1999 से 14.08.2000 तक की अवधि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। इसका भुगतान किया जाय।</u>

वादी का कहना है कि विभागीय आदेश सं०–189 दिनांक 24.01.2006 द्वारा उन्हें ACP योजना के तहत दिनांक 09.08.99 से प्रथम एवं 12.01.2000 से द्वितीय लाभ स्वीकृत किया गया था। दिनांक 09.08.1999 से दिनांक 15.11.2000 के बीच की अवधि में वे बिहार राज्य के अन्तर्गत पदस्थापित थे। इसलिए उक्त अवधि का अनुमान्य बकाया अन्तर राशि का भुगतान अविभाजित बिहार राज्य की निधि से की जाय। उनके द्वारा वित्त विभाग का पत्रांक 7/विविध –2007/2004–2264 वि० 22.09.04 का हवाला देते हुए कहा गया है कि उक्त राशि अनुमान्य है।

संदर्भित पत्र द्वारा 15.11.2000 के पूर्व के बकाया के भुगतान हेतु बजटीय उपबंध के संदर्भ में प्रक्रिया का निरूपण किया गया है, इसमें प्रश्नगत बकाया भुगतान संबंधी कोई आदेश वर्णित नहीं है। वादी को विभागीय आदेश सं०–189 दिनांक 24.01.2006 द्वारा ए०सी०पी० योजनान्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश की कंडिका 2(i) में निम्न आदेश वर्णित है –

" यह योजना 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा"।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–**5207 दिनांक 14.08.2002** द्वारा राज्य में सुनिश्चित वृति योजना (*ए०सी०पी०*) लागू की गई है। संकल्प की कंडिका 3(iii) निम्नवत् है–

" ए०सी०पी० योजना का लाभ निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 09.08.99, जो बाद की तिथि हो, से प्रदान किया जायेगा। किन्तु बकाया की गणना झारखण्ड राज्य के गठन अर्थात 15.11.2000 तक ही सीमित रहेगी। दूसरे शब्दों में दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा।"

संदर्भित आदेश एवं उक्त संकल्प के अनुसार ACP योजना के तहत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से ही अनुमान्य है, एवं उसके पूर्व का बकाया अनुमान्य नहीं है। **अतः वादी का दावा मान्य नहीं है।**

2. <u>अभ्यावेदन की कंडिका–(क) (ii), (iii), (iv) एवं (v) में वादी द्वारा AIIMS, नई दिल्ली में स्वयं की करायी गई हृदय रोग की चिकित्सा से संबंधित यात्रा भत्ता भुगतान की मांग की गई है।</u>

संयुक्त सचिव (प्रबंधन) द्वारा सूचित किया गया है कि वादी द्वारा समर्पित विपत्रों को जॉचोपरांत प्रतिहस्ताक्षरार्थ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के कार्यालय को भेजा गया है। नियमानुसार निदेशक प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राशि का भुगतान अनुमान्य है।

वर्णित परिस्थिति में **संयुक्त सचिव (प्रबंधन) को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षरित विपत्र शीघ्र प्राप्त कर भुगतान हेतु आवश्यक अनुवर्त्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।**

3. **अभ्यावेदन की कंडिका क (vi) में वादी द्वारा सरकारी कार्यो के निष्पादनार्थ उनकी स्वयं की व्यवस्था से व्यय की गई निजी राशि रू॰ 17000/– मात्र के भुगतान की मांग की गई है**

वादी द्वारा अपने दावे के संबंध में कोई साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत व्यय किस परिस्थिति में, किसके आदेश से एवं किन कार्यों में किया गया है स्पष्ट नहीं है। वर्णित स्थिति में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुंडु (रांची) को निदेश दिया जाता है कि **वादी द्वारा समर्पित विपत्रों की सम्यक जॉच करें एवं अनुमान्य राशि का नियमानुसार भुगतान करें।**

4. **अभ्यावेदन की कंडिका ख (i) में वादी द्वारा उन्हें स्वीकृत एम॰ए॰सी॰पी॰ लाभ का समावेश पेंशन में करने हेतु महालेखाकार को संसूचित करने की मांग की गई है।**

संशोधित सुनिश्चित वृति योजना (एम॰ए॰सी॰पी॰) के तहत विभागीय आदेश सं॰ 6480 दिनांक 08.11.2012 द्वारा वादी को औपबंधिक रूप से स्वीकृत एम॰ए॰सी॰पी॰ के तृतीय लाभ को सम्पुष्ट किया गया है। इस आदेश की प्रति महालेखाकार, झारखण्ड रॉची को दी गई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है कि संशोधित पेंशन प्रपत्र हस्ताक्षरार्थ वादी को प्रमंडलीय पत्रांक 575 दिनांक 17.08.2013 एवं 585 दिनांक 22.08.2013 द्वारा बुलाया गया है लेकिन वादी स्वयं इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। संशोधित पेंशन प्रपत्र पर वादी के हस्ताक्षर प्राप्त होने के पश्चात इसे महालेखाकार, झारखण्ड रॉची को प्रेषित किया जाएगा।

वर्णित परिस्थिति में **वादी को निदेश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित होकर संशोधित पेंशन प्रपत्र पर यथोचित फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर कर दें। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू अगले एक सप्ताह में निश्चित रूप से इसे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर विभाग को संसूचित करेंगे।**

5. **अभ्यावेदन की कंडिका ख (ii) में वादी द्वारा सेवानिवृति उपरांत स्थानातरण अनुदान एवं एक मुश्त पैकिंग भता की मांग की गई है।**

वादी द्वारा सेवानिवृति उपरांत स्थानातरण अनुदान एवं एक मुश्त पैकिंग भता की मांग की गई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है कि वादी के दावे के अनुरूप स्थानान्तरण

अनुदान एवं एक मुश्त पैकिंग भत्ता नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है। **अतः इस बिन्दु पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।**

6. <u>वादी द्वारा अभ्यावेदन की कंडिका ख (iii) द्वारा उनके सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए Statutoy Interest की मांग की गई है।</u>

वादी द्वारा कहा गया है कि उनके भविष्य निधि लेखा में जमा राशि की अंतिम निकासी हेतु आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर ससमय कार्यपालक अभियंता को समर्पित किया गया था। इसके साक्ष्य में उनके द्वारा अनुमण्डलीय कार्यालय से निर्गत पत्र की प्रति भी दी गई है। पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है वादी द्वारा सेवा निवृति (30.06.2010) से पहले GPF निकासी हेतु विहित रूप से आवेदन दिया गया है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित भुगतान प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सामान्य भविष्य निधि से वादी को दिनांक 16.06.2011 को भुगतान प्राप्त हुआ है। स्पष्टतः राशि के भुगतान में विलम्ब हुआ है जिसके लिए वादी जिम्मेवार नही हैं।

सेवानिवृति के पश्चात विलम्बित भुगतान हेतु सरकार द्वारा पूर्व से निम्न आदेश निर्गत है –

"Interest shall be allowed on delayed payment of all kinds of pension (including family pension) and DCR Gratuity @ 5% per annum for the period beyond three months after the pension/DCR Gratuity becomes due and shall be payable till the end of the month preceding the month in which the payment of final pension actually begins. Interest shall be allowed only where it is clearly established that the payment of pension DCR Gratuity was delayed on account of administrative lapse or for reasons beyond the control of the retired Government servants. Each case of payment of interest shall be considered by the concerned Administrative Department in consultation with the Finance Department and the payment of interest must be authorised through a Government order. In all cases where interest is paid the entire amount of interest shall be realised from the Government servants responsible for the delay".

(i) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बूण्डू को सरकार के आदेश के अनुरूप देय वैधिक सूद भुगतान की कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है। वे भुगतानोपरांत शीघ्र अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

(ii) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची को निदेश दिया जाता है कि विलम्बित भुगतान के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी से सूद की राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति वादी एवं अन्य संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/–

अभियंता प्रमुख–01
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड रॉची।

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–श्री विष्णु शरण शर्मा, सेवानिवृत सहायक अभियंता, बिन्ध कुटीर, फ्लैट सं०–101, रोड नं०–01, विकास नगर, सिंह मोड़, हटिया, रॉची–834003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड रॉची।

ज्ञापांक :– रॉची, दिनांक :–

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रॉची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड रॉची।

ज्ञापांक :– 6860 रॉची, दिनांक :– 20-11-13

प्रतिलिपिः–वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/XI/13

(**मनोज कुमार**)
अवर सचिव (प्र०)
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड रॉची।